फर्द अहकाम (नियम 26)
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर (राज.)
हर्षवर्धन पालावत बनाम राजस्थान राज्य
दांडिक अपील संख्या 372/2024

दिनांक हुक्म	कार्यवाही मय आद्यहस्ताक्षर	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील
20.05.2026	अपीलार्थी/अभियुक्त हर्षवर्धन उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 01 राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 02 सुशील कुमार गर्ग मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत अपील, विद्वान विचारण न्यायालय, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या 02, अलवर के पीठासीन अधिकारी श्रीमती स्तुति राठी, द्वारा उनके न्यायालय में लंबित नियमित दांडिक प्रकरण संख्या 1470/2021, सुशील कुमार गर्ग बनाम हर्षवर्धन पालावत, अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में पारित आक्षेपित निर्णय व दंडादेश दिनांक 18.11.2024 से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से दोषसिद्ध किया जाकर, 01 माह के साधारण कारावास एवं 1,80,000/–रूपये प्रतिकर राशि, अदम अदायगी प्रतिकर, 03 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। अपील के विचारण के दौरान प्रकरण को मध्यस्थता केंद्र, अलवर में आपसी समझौते से निस्तारण हेतु भेजा गया था। मध्यस्थता केंद्र अलवर पर समझौते की कार्यवाही के उपरांत दोनों पक्षों में आपसी समझौता दिनांक 17.09.2025 को हुआ था एवं समझौता पत्र मध्यस्थता केंद्र से भेजा गया है, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी समझौते को स्वीकार किया है। समझौते के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा यह तय किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त, प्रत्यर्थी संख्या 02 सुशील कुमार गर्ग को 1,80,000/–रूपये अदा करेगा, जिसमें से 24,000/–रूपये की राशि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा नकद अदा की जा चुकी है। 36,000/–रूपये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमा हैं, जो प्रत्यर्थी संख्या 02 सुशील कुमार गर्ग प्राप्त करने का अधिकारी होगा। शेष राशि 1,20,000/–रूपये को 08 किश्तों में अदा किया जा चुका है। अतः समझौते के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रकम अदा किया जाना दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। दोनों पक्ष इस प्रकरण में आगे कार्यवाही चलाना नहीं चाहते हैं एवं राजीनामा के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा रकम अदा की जा चुकी है एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 सुशील कुमार गर्ग ने रकम प्राप्त कर ली है एवं कार्यवाही आगे नहीं चलाने का निवेदन किया है। अतः विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त ने राजीनामा के आधार पर, अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व दंडादेश दिनांक 18.11.2024 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। चूंकि दोनों पक्षों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है एवं दोनों ही पक्ष इस तथ्य से सहमत हैं कि राजीनामा के अनुसार 1,80,000/–रूपये की राशि में से 24,000/–रूपये अपीलार्थी द्वारा नकद अदा किये जा चुके हैं एवं 36,000/–रूपये विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा हैं एवं शेष 1,20,000/–रूपये की राशि 08 समान किश्तों में प्राप्त की जा चुकी है। पूर्व में	हुए

विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करवाये गये 36,000/–रूपयों को परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 सुशील कुमार गर्ग प्राप्त कर सकेगी। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश में अधिरोपित की गई संपूर्ण प्रतिकर राशि का भुगतान, अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 को किया जाना प्रकट होता है।

जहां तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पारित 01 माह के साधारण कारावास के दंड बाबत दंडादेश का प्रश्न है, चूंकि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है एवं विवादित चैक राशि 1,29,300/–रूपये के चैक अनादरण के आपराधिक कृत्य के क्रम में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा, अपीलार्थी/अभियुक्त पर अधिरोपित प्रतिकर राशि 1,80,000/–रूपये का संपूर्ण भुगतान किया जा चुका है एवं परिवादी/ प्रत्यर्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता ने भी अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है, अतः उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में पारित 01 माह के साधारण कारावास के दंड के दंडादेश को अपास्त किया जाना एवं राजीनामा के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जाकर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 18.11.2024 की पुष्टि की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश, अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में 01 माह के साधारण कारावास के दंड से दंडित किये जाने की हद तक अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रतिकर राशि 1,80,000/–रूपये, जिस राशि की हद तक पक्षकारान में राजीनामा भी हुआ है, में से 1,20,000/–रूपये का भुगतान 08 समान किश्तों एवं 24,000/–रूपये नकद अदा करके किया जा चुका है एवं शेष 36,000/–रूपये की राशि, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा है, जो परिवादी प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार संपूर्ण प्रतिकर राशि का भुगतान अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी को कर दिया जाना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश 1,80,000/–रूपये प्रतिकर राशि जमा करवाये जाने, अदम अदायगी प्रतिकर राशि 03 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने की हद तक भी, जरिये राजीनामा अपास्त किया जाता है।

अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 02 सुशील कुमार गर्ग, राजीनामा अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय में जमा राशि 36,000/–रूपये, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

आदेश की प्रति मय विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली, अविलंब प्रेषित की जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफतर हो।